

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2022—श्रावण 21, शक 1944

भाग 3 ( 1 )

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम आधार कार्ड नं. 9717 6415 3055 में अनुसुइया बाई गामी के नाम से दर्ज है। मेरे पुत्र विवेक गामी की दसवीं एवं ग्यारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम आशा गामी व मेरे पति का नाम राजेश गामी दर्ज है जो कि असत्य एवं गलत है। जबकि मेरा सही नाम अनुसुइया बाई गामी व मेरे पति का नाम राजेंद्र गामी है, मुझे अनुसुइया बाई गामी एवं मेरे पति को राजेंद्र गामी के नाम से जाना जाए।

(अनुसुइया बाई गामी पति राजेंद्र गामी)

सत्यापनकर्ता

(अनुसुइया बाई गामी पति राजेंद्र गामी)

ग्राम कनार्दी, तहसील तराना,

जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश।

(G-1430)

**CHANGE OF NAME**

I, Mohd Shamikh Haider Jafri S/o Nawazish Hussain Jaffry born on 31-08-1994 residing at Behind Jhulelal Mandir, Madhoganj, Gird, Lashkar, Gwalior (M.P.) have changed my name to Shamikh Jafri *vide* affidavit no. BH999224, dated 30-07-2022 sworn before the notary Ravi Soni, Gwalior.

Old Name  
**(Mohd Shamikh Haider Jafri)**  
(G-1431)

New Name  
**(Shamikh Jafri)**

**CHANGE OF NAME**

I, Kirti Rana Here by declare that, my maiden name Was kirti Rana D/o Vikramaditya Rana. After my Marriage, I have Changed my name as Kirti Rajya Lakshmi Purawat W/o Sanjay Singh Purawat. So, from now and in Future I will be known as Kirti Rajya Lakshmi Purawat.

Old Name  
**(Kirti Rana)**  
D/o Vikramaditya Rana  
(G-1432)

New Name  
**(Kirti Rajya Lakshmi Purawat)**  
W/o Sanjay Singh Purawat,  
5-E, Lakshya Regency,  
15/2 Old Palasia, Indore (M.P.)

**उपनाम परिवर्तन**

मैं, ज्योति ठाकुर पत्नी संजय गुजरे व्यवसाय-गृहणी निवासी-432, महावीर वार्ड क्र. 19, बैतूल की होकर शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम ज्योति ठाकुर था जो कि शादी के बाद मैंने अपना उप नाम ज्योति गुजरे कर लिया है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. मुझे मेरे सही नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
**(ज्योति ठाकुर)**  
(G-1433)

नया नाम  
**(ज्योति गुजरे)**

**आम सूचना**

मैं, सोमेश सिंह सेंगर पिता कमल नयन सिंह सेंगर उम्र 44 वर्ष, निवासी पुलिस लाईन के सामने, छतरपुर मध्यप्रदेश (पिन कोड 471001) उक्त पते का निवासरत हूँ, यह कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, एलआईसी पॉलिसी, बैंक खाता, स्कूल रिकॉर्ड, समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में उपनाम (कुलनाम) सेंगर की अंग्रेजी में स्पेलिंग SENGGER दर्ज है। यह कि भविष्य में मेरे (सोमेश सिंह सेंगर) उपनाम (कुलनाम) सेंगर की अंग्रेजी स्पेलिंग को SENGGER के स्थान पर SENGAR लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(सोमेश सिंह सेंगर)

SOMESH SINGH SENGGER

(G-1434)

नया नाम

(सोमेश सिंह सेंगर)

SOMESH SINGH SENGAR

पुलिस लाइन के सामने, छतरपुर, मध्यप्रदेश

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बिंदु दीक्षित पत्नी श्री एच.बी. दीक्षित था निवासी-सीनियर एम.आई. जी. 437, कटारा हिल्स भोपाल, म.प्र. मेरा नाम बिंदु दीक्षित जो कि आधार कार्ड में वुटिवश (VINDOO) मेरा नाम गलत लिखा गया है जो कि जबकि मेरा वास्तविक बिंदु (BINDU DIXIT) है। इसी प्रकार मेरे वोटर कार्ड में मेरा सरनेम (DEEKASHIT) लिखा गया है जबकि मेरा सरनेम (DIXIT) दीक्षित है। अतः सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मुझे बिंदु दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(VINDOO)

(G-1435)

नया नाम

(BINDU DIXIT)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनपत चर्मकार पिता प्रेमलाल चर्मकार, निवासी-ग्राम क्यॉटार, पो. लहरपुर, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में निवास करता हूँ मैं, वर्तमान में धनपत चर्मकार के नाम से पढ़ा लिखा एवं जाना व पहचाना जाता हूँ तथा मेरे समस्त शैक्षणिक अंकसूची, प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में यही नाम अंकित है। तथा मैं, वर्तमान शिक्षा सत्र 2020-21 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्यप्रदेश में पीएचडी (अर्थशास्त्र) प्रथम वर्ष में धनपत चर्मकार के नाम से प्रवेश लेकर अध्ययनरत हूँ मैं अपना नाम धनपत चर्मकार से बदलकर धनपत कुमार रख लिया हूँ मैं, यह सुधार अपने व्यक्तिगत कारणों एवं महज परेशानी से बचने के लिये किया हूँ इसमें किसी प्रकार की कोई वाद्ययंती व बेईमानी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप प्रकाशन दिनांक से अब मेरा नाम धनपत कुमार हो गया है। इसके पश्चात् भविष्य में मुझे धनपत कुमार के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा जाएगा साथ ही मैं, कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल, कार्यालय, कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं कार्यालय, कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी

राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल तथा कार्यालय, कुलसचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक म.प्र. से निवेदन करता हूं कि मेरे समस्त शैक्षणिक अंकसूची प्रमाण-पत्रों एवं वर्तमान में अध्ययनरत पीएचडी (अर्थशास्त्र) प्रथम वर्ष के समस्त अंकसूची प्रमाण पत्रों में मेरा नाम धनपत कुमार दर्ज किया जाए.

पुराना नाम  
(धनपत चर्मकार)  
(DHANPAT CHARMKAR)

नया नाम  
(धनपत कुमार)  
(DHANPAT KUMAR)

(G-1436)

आत्मज-श्री प्रेमलाल चर्मकार  
ग्राम-क्योटार, पो.-लहरपुर, तहसील-जैतहरी,  
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

मैं, आदिति साहु पिता श्री कृष्णचंद साहु एवं माता श्रीमती सस्मिता साहु (Sasmita Sahoo) वर्तमान निवासी – सी – 09-भालूमाडा गेस्ट हाउस के समीप, जिला अनूपपुर, म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे द्वारा कक्षा 10वीं वंदना कॉन्वेंट स्कूल गुना, जिला गुना, म.प्र. से वर्ष 2019-20 में उत्तीर्ण की है. मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरी मां का नाम सस्मिता साहु (Sasmita Sahoo) के स्थान पर सुस्मिता साहु (Sushmita Sahu) त्रुटिवश अंकित हो गया है. जबकि मेरी माता का वास्तविक नाम सस्मिता साहु (Sasmita Sahoo) है. अतः मेरी मां को सस्मिता साहु (Sasmita Sahoo) के नाम से जाना पहचाना जाए तथा सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में भी उसी नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(सुस्मिता साहु)  
(Sushmita Sahu)

नया नाम  
(सस्मिता साहु)  
(Sasmita Sahoo)

(G-1437)

### नाम परिवर्तन

सूचित करती हूं कि मुझे सायमा तोफीक अंसारी (SAYMA TOFIQ ANSARI) के नाम से जाना व पहचाना जाता था जो कि मेरा सही नाम साईमा तोफिक (SAIMA TAUFEEQ) निवासी मकान नं. 20, लाला लाजपत राय कॉलोनी, बाग दिलकुशा, पुल बोगदा, भोपाल म.प्र. से जाना व पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में इसी नाम से अंकित किया जावे.

पुराना नाम  
(सायमा तोफीक अंसारी)  
(SAYMA TOFIQ ANSARI)

नया नाम  
(साईमा तोफिक)  
(SAIMA TAUFEEQ)

(G-1438)

**उपनाम परिवर्तन**

मैं, माखन सिंह माण्डवे पिता श्री समनू सिंह मरावी शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के पद पर एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला बिजैइयॉ, संकुल केन्द्र शासकीय उ.मा. विद्यालय मझगवां में पदस्थ हूं तथा वार्ड नं. 12, पालीवाल कालोनी, खितौला बाजार सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) में निवासरत् हूं. मेरी कक्षा 11वीं बोर्ड की अंकसूची में भूलवश उपजाति मरावी के स्थान पर माण्डवे लिखा हुआ है अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपजाति माण्डवे के स्थान पर मरावी नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा, लिखा जाये.

पुराना नाम

(माखन सिंह माण्डवे)

(MAKHAN SINGH MANDVE)

(G-1439)

नया नाम

(माखन सिंह मरावी)

(MAKHAN SINGH MARAVI)

**नाम परिवर्तन**

मेरा पहले का नाम सुकरत चौधरी पिता का नाम पहरिया चौधरी है जो कि गलत अंकित हो गया था अतः मेरा सही नाम महेश पिता स्वर्गीय श्री सुखलाल है निवासी अस्थाई मकान क्रमांक-112 शंकर गार्डन, नियर अशोका गार्डन, भोपाल है अतः सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मुझे महेश पिता स्वर्गीय श्री सुखलाल के नाम से जाना व पहचाना जावे हमारे संपूर्ण रिकॉर्ड में महेश पिता सुखलाल ही दर्ज है.

पुराना नाम

(सुकरत चौधरी)

(G-1440)

नया नाम

महेश पिता स्वर्गीय श्री सुखलाल

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में श्री महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 31-3-2022 से एक भागीदार (1) श्रीमती रमनप्रीत कौर बेदी पति स. अजिन्द्र सिंह बेदी निवासी नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2022 से एक भागीदार (1) श्री अभिजीत त्रिवेदी पिता मुनिन्द्र त्रिवेदी निवासी वार्ड न. 31 सिविल लाइन नागपुर रोड छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो गये हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2022 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड वार्ड नं. 10 नरसिंहपुर रोड छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है. सूचित हो.

स. अजिन्द्रसिंह बेदी

पार्टनर

(G-1441)

**Public Notice****NOTIFICATION U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

It is published for general information that, due to demise of LATE SHRI DEVENDRAKUMAR DASOT S/o LATE SHRI KANHAIYALAL DASOT, R/o 7, SITA BAGH COLONY, INDORE (M.P.) PIN. 452001 on 16-05-2020, now he is no longer associated with the partnership firm and from 01-04-2021 SMT. SANGEETA DASOT W/o SHRI SANJAY DASOT R/o 7, SITA BAGH COLONY, INDORE (M.P.) PIN. 452001, has retired from the partnership firm "M/s SOLITAIRE REALTY", 13/1, SITABAGH COLONY, BEHIND REGAL TALKIES, INDORE, TH. & DIST. INDORE (M.P.)-452001 registered *vide* registration no. 03-27-03-00283-14 dt. 10-12-2014.

For "M/s. SOLITAIRE REALTY"  
(SANJAY DASOT)  
Partner.

(G-1442)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. BHAGYASHREE FOOD PROCESSING, Address 1, Industrial Area, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) Registration No. 07-34-03-0157-22, दिनांक 03-03-2022 है।

1. जिसमें दिनांक 22-02-2016 को Shri Ravindra Gandhi S/o Shri Roshan Lal Gandhi, Resident of Usha Ganj Colony, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म M/s BHAGYASHREE FOOD PROCESSING, Address 1, Industrial Area, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) में प्रवेश हुआ है।
2. तथा जिसमें दिनांक 18-02-2020 को Shri Mridul Punglia S/o Shri Mahesh Chandra Ji Punglia, Resident of 1501, Fortune Heights, 29<sup>th</sup> Road, Bandra West, Mumbai (Maharashtra) नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म M/s. BHAGYASHREE FOOD PROCESSING, Address 1, Industrial Area, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) में प्रवेश हुआ है।
3. तथा जिसमें दिनांक 18-02-2020 को (1) Shri Mahesh Chandra Kabra S/o Shri Chen Ram Ji Kabra, Resident of Mantri Gali, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) (2) Shri Ravindra Gandhi S/o Shri Roshan Lal Gandhi, Resident of Usha Ganj Colony, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) अपनी-अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। उक्त दिनांक 18-02-2020 से फर्म M/s. BHAGYASHREE FOOD PROCESSING, Address 1, Industrial Area, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) से दोनों पार्टनरों (भागीदारों) का कोई लेना-देना नहीं है।
4. तथा जिसमें दिनांक 06-03-2021 को Shri Krishna Gopal Kabra S/o Shri Ramchandra Ji Kabra, Resident of Govind Colony, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। उक्त दिनांक 06-03-2021 से फर्म M/s. BHAGYASHREE FOOD PROCESSING, Address 1, Industrial Area, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) से पार्टनर (भागीदार) का कोई लेना-देना नहीं है।
5. वर्तमान में इस फर्म M/s. BHAGYASHREE FOOD PROCESSING, Address 1, Industrial Area, Manasa, Dist. Neemuch (M.P.) में निम्नानुसार भागीदार रह गये हैं।

For BHAGYASHREE FOOD PROCESSING,  
(1) PRAMOD SAMDANI  
(2) MRIDUL PUNGLIA  
Partner.

(G-1443)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वी. एल. बी. एण्ड कम्पनी, पता- 20, धन्वतरी मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 07-33-01-00007-11, दिनांक 07-05-2011 है। जिसमें दिनांक 12-01-2021 को डॉ. नितिन अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश जी अग्रवाल, पता- B-7/4, महानन्दा नगर, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) भागीदार का स्वर्गवास हो गया है।

तथा जिसमें दिनांक 12-01-2021 को डॉ. दीपिका अग्रवाल पति स्व. डॉ. नितिन अग्रवाल पता- B-7/4, महानन्दा नगर, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) को नये भागीदार के रूप में फर्म मेसर्स वी. एल. बी. एण्ड कम्पनी, पता- 20, धन्वतरी मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) में प्रवेश हुआ है।

तथा जिसमें दिनांक 31-03-2022 फर्म का पता- 20, धन्वतरी मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) के स्थान पर नवीन पता- D-5/4, धन्वतरी चिकित्सा केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) हो गया है। वर्तमान में इस फर्म का पता- D-5/4, धन्वतरी चिकित्सा केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) से कार्यरत रहेगी।

तथा जिसमें दिनांक 31-03-2022 को (1) डॉ. दीपाली पाठक पति डॉ. आशीष पाठक, पता- 64, सेठी नगर, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) (2) डॉ. दीपिका अग्रवाल पति स्व. डॉ. नितिन अग्रवाल पता- B-7/4, महानन्दा नगर, उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) अपनी-अपनी स्वेच्छा से फर्म वी. एल. बी. एण्ड कम्पनी, पता- D-5/4, धन्वतरी चिकित्सा केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) से पृथक् हो गये हैं। उक्त दिनांक 31-03-2022 से इस फर्म वी. एल. बी. एण्ड कम्पनी, पता- D-5/4, धन्वतरी चिकित्सा केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) से दोनों पार्टनरों (भागीदारों) को कोई लेना-देना नहीं है।

वर्तमान में इस फर्म वी. एल. बी. एण्ड कम्पनी में निम्न भागीदार रह गये हैं।

For V L B & Company,

- (1) अमिता शर्मा,
- (2) रवि राठौर,
- (3) नलिनी मान्दलिया,
- (4) संतोष घाटिया,

Partner.

(G-1444)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री कृष्णा स्टोन्स, पता- प्लॉट नं. 4-A (पार्ट), इन्डस्ट्रीयल एरिया, बानमोर, मुरैना (म.प्र.) स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-44-01-00185-10, दिनांक 12-11-2010 है, जिसमें दिनांक 20-03-2017 को नवीन भागीदार के रूप में श्री माया राम शर्मा पुत्र स्व. श्री बाबू लाल शर्मा, निवासी- जगनेर रोड, तिमासिया, बसेड़ी, जिला-धौलपुर (राजस्थान) फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से श्री कैलाश चंद गोयल पुत्र श्री छोटेलाल गोयल, निवासी- ब्रजेश कॉलोनी, बसेड़ी, जिला-धौलपुर (राजस्थान) फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 30-09-2018 को इस फर्म को सभी भागीदारियों की सहमति से भंग कर दिया गया है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मैसर्स श्री कृष्णा स्टोन्स,

रमेश चंद गर्ग (भागीदार)

पता- प्लॉट नं. 4-A (पार्ट), इन्डस्ट्रीयल एरिया,

बानमोर, मुरैना (म.प्र.)

(G-1445)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में कोहीनुर टावर (M/s KOHINOOR TOWERS) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म से दिनांक 01-04-2017 से एक भागीदार (1) एस. चरणजीत सिंह अरोरा पिता स्व. एस. सुन्दर सिंह अरोरा, निवासी- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मेन ब्रांच, चिरकुलर रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) (2) श्रीमति तजिंदर कौर अरोरा पति एस. चरणजीत सिंह अरोरा, निवासी- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मेन ब्रांच, चिरकुलर रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (3) श्रीमति परमजीत कौर अरोरा पिता एस. चरणजीत सिंह अरोरा, निवासी- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मेन ब्रांच, चिरकुलर रोड, छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (4) श्रीमति पुनीत कौर अरोरा पति एस. लगनदीप सिंह अरोरा, निवासी- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मेन ब्रांच, चिरकुलर रोड, छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2017 से संशोधन उपरांत छः (6) साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस वार्ड नं. 32, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मेन ब्रांच, खजरी रोड, छिन्दवाड़ा, तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

एस. लगनदीप सिंह अरोरा,

पार्टनर,

मैसर्स कोहीनुर टावर्स,

वार्ड नं. 32, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, मेन ब्रांच,

खजरी रोड, छिन्दवाड़ा-480001.

(G-1446)

### न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2022-H.N. 158 (नियम-5) 1 (देखिए) उज्जैन, दिनांक 01 अगस्त, 2022

प्रारूप -चार

सूचना-पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक "अखिल भारतीय दशोरा प्रश्नोरा नागर समाज (मन्दसौर कुल देवी) मंदिर ट्रस्ट" द्वारा श्री दिनेशचंद्र पिता श्री मोहनलाल दशोरा अध्यक्ष, निवासी- 2, अप्सरेश्वर महादेव की गली, पटनी बाजार उज्जैन द्वारा "अखिल भारतीय दशोरा प्रश्नोरा नागर समाज (मन्दसौर कुल देवी) मंदिर ट्रस्ट" उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय- 2, अप्सरेश्वर महादेव की गली, पटनी बाजार उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 02.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।



कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मै पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 02.09.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

—:अनुसूची:—

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:— “अखिल भारतीय दशोरा प्रश्नोरा नागर समाज (मन्दसौर कुल देवी) मंदिर ट्रस्ट”  
कार्यालय :- 2, अप्सरेश्वर महादेव की गली, पटनी बाजार उज्जैन म.प्र.  
अचल संपत्ति :- निरंक  
चल संपत्ति :- आवेदन में उल्लेखित चल सम्पत्ति का मूल्य 10000 रु. दर्शाया गया है।

(G-1447)

संजीव साहू, अनुविभागीय अधिकारी,

कार्यालय, पंजीयक एवं लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, कोठीमहल, जिला उज्जैन

प्र. क्र.-0001-बी-113-2022-23-562

उज्जैन, दिनांक 05 अगस्त, 2022

प्रारूप चार  
(नियम-5) 1 (देखिए)  
सूचना पत्र

मध्य प्रदेश लोकन्यास अधिनियम 1959( 1951 का 30) की धारा की उपलब्ध (2) मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए।

पंजीयक,  
लोकन्यास,  
उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदक बियोन्ड सेल्फ ट्रस्ट” उज्जैन, निवासी प्रस्तावित कार्यालय 09 साकेत नगर अपोसिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र उज्जैन म.प्र. ने लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 ( की धारा-4 के अधीन अनुसूची मे लोक न्यास की तरह सार्वजनिक, नारमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन किया है । एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05.08.22 को प्रातः 11 बजे स्थान कोठी पेलेस उज्जैन का विचार के लिये लिया गया ।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है ।

अतः में पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर उज्जैन जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05.08.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची:-

( लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता )

न्यास का नाम:- "वियोन्ड सेल्फ ट्रस्ट" उज्जैन, निवासी प्रस्तावित कार्यालय 09 साकेत नगर अपोसिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र उज्जैन म.प्र.

कार्यालय:- 09 साकेत नगर अपोसिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र उज्जैन म.प्र.

अचल संपत्ति :- निल

चल संपत्ति:- 4 लाख

(G-1448)

जगदीश मेहरा, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2022-H.N. 154

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2022

प्र. क्र.-0014-बी-113-2022-23

प्रारूप चार  
(नियम-5) 1 (देखिए)  
सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए।

पंजीयक,

लोकन्यास,

उज्जैन जिला उज्जैन के समक्ष

चूंकि आवेदिका "स्व. सीताबाई संत कबीर सामाजिक न्यास ट्रस्ट" द्वारा डॉ. रमाकुमारी पांचाल (न्यासी) निवासी- भवनिशंकर पांचाल, पंचशील भवन 82, ईके सेक्टर स्कीम न. 54, इंदौर द्वारा "स्व. सीताबाई संत कबीर सामाजिक न्यास ट्रस्ट" उज्जैन (म.प्र.) पंजीकृत कार्यालय- शंकरपुर, मक्सीरोड विद्युत ग्रिड के सामने, उज्जैन (म.प्र.) ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 30.08.2022 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- नवीन प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30.08.2022 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता ओर कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

—:अनुसूची:—

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

|                 |   |
|-----------------|---|
| न्यास का नाम:-- | “स्व. सीताबाई संत कबीर सामाजिक न्यास ट्रस्ट”  |
| कार्यालय :-     | शंकरपुर, मकसीरोड विद्युत ग्रिड के सामने, उज्जैन (म.प्र.)  |
| अचल संपत्ति :-  | वर्तमान में ट्रस्ट के पास ग्राम करोंदिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 225/2 रकबा 0.7000 हे. भूमि अचल संपत्ति के रूप में दर्शाया है। |
| चल संपत्ति :-   | आवेदन में उल्लेखित चल संपत्ति का मूल्य 15000 रु. दर्शाया गया है।  |

(G-1449)

संजीव साहू, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा,  
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र.-0001-बी-113(1)-2022-23

खण्डवा, दिनांक 11 जुलाई, 2022

प्रारूप चार  
विज्ञप्ति

(म.प्र.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं म.प्र. सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत।

जैसा कि श्री श्यामसुंदर पिता श्री पन्नालाल गर्ग ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 08.08.2022 को विचार किया जायगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

## अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता श्रीमती लक्ष्मीबाई पन्नालाल अग्रवाल सहायता ट्रस्ट जिला खण्डवा 312, गर्ग प्रिमाइसेस पदम नगर, खण्डवा (म.प्र.) 450001 जिला खण्डवा

चल संपत्ति 11000/- नगदी (शब्दों में ग्यारह हजार रूपये)

अचल संपत्ति निरंक

(G-1450)

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर,  
जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.-0002-बी-113-2022-23

राजनगर, दिनांक 21 जुलाई, 2022

(मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 एवं नियम 51(1) म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के अंतर्गत)

### सार्वजनिक उद्घोषणा

1. धीरेन्द्र गर्ग तनय रामकृपाल गर्ग(अध्यक्ष)
2. नीतेन्द्र चौबे तनय मोहन लाल चौबे(उपाध्यक्ष)
3. कमलेश चौरहा तनय गौरीशंकर चौरहा(सचिव)
4. शालिगराम गर्ग तनय रामकृपाल गर्ग(कोषाध्यक्ष)
5. नरेन्द्र शुक्ला तनय कृष्णकुमार शुक्ला(सहसचिव)
6. श्रीमती सरोज गर्ग पति रामकृपाल गर्ग(सदस्य)
7. निशांत नायक तनय स्व. मनोज नायक(सदस्य)
8. बी.एल.गुप्ता तनय कमल कुमार गुप्ता(सदस्य)
9. अंकुर यादव तनय अशोक यादव(सदस्य)

समस्त निवासी मध्यप्रदेश

**बनाम**

शासन म0प्र0

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 05 के अंतर्गत निम्नांकित अनुसूची में दर्शायी गई सार्वजनिक धार्मिक संस्था की व्यवस्था हेतु पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किये जाने के वास्ते आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिये सार्वजनिक जानकारी हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22/08/2022 को दिन के 11.00 बजे सुनवाई की जावेगी।

### अनुसूची(क) न्यास की संपत्ति का विवरण

| क  | पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता   | चल/अचल संपत्ति का विवरण   |
|----|--|---|
| 1. | न्यास श्री बागेश्वर धाम चेरिटिबल ट्रस्ट ग्राम गढ़ा, पोस्ट गंज तहसील राजनगर जिला छतरपुर(M090) | <ol style="list-style-type: none"> <li>80X250 वर्गफीट में बना श्री बाला जी महाराज का मंदिर जिसके सम्पूर्ण भार्ग में स्टील का ग्रिल व टाइल्स आदि से सुशोभित है।</li> <li>43X70 वर्गफीट में बना पक्का आश्रम सामुदायिक भवन।</li> <li>50X100 वर्गफीट में पक्का बना अन्नपूर्णा भवन।</li> <li>30X30 वर्गफीट में पक्का बना सामुदायिक भवन।</li> <li>700 मीटर में बना परिक्रमा मार्ग।</li> <li>तीन मंजिला आश्रम जिसके प्रथम खंड में तीन कमरे एक हॉल, दूसरे खंड पर चार कमरे एक हॉल व तीसरे खंड में पाँच कमरे जिन सभी में टाइल्स आदि सम्पूर्ण सुवधाओं से युक्त है।</li> <li>आश्रम एवं अन्नपूर्णा भवन के दक्षिण की ओर तालाब जिसका कुल रकवा 03 एकड़ है। साथ ही पार्किंग हेतु सुरक्षित पहाड़ी का भाग जो लगभग 20 एकड़ है व सम्पूर्ण बालाजी महाराज के मंदिर में है।</li> </ol> <p><b>बाला जी महाराज के श्रंगार की आवश्यक गहने व सामग्री</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>छत्र चॉदी का बड़ा वजन 1 किलो 260 ग्राम</li> <li>छत्र चॉदी का मंझला श्रीयंत्र 500 ग्राम</li> <li>छत्र चॉदी का छोटा उप बाला जी 200 ग्राम</li> <li>चॉदी की माला 01 बाला जी की</li> <li>मुकुट चॉदी का मीन कुंडल सहित वजन 920 ग्राम</li> <li>मुकुट पीतल गोल्डन पॉलिस कुंडल सहित 500 ग्राम</li> <li>मुकुट बड़ा गोल्डन पॉलिस कुंडल सहित 700 ग्राम</li> <li>मुकुट जर्मन सिल्वर कुंडल हार रामनाम हार सहित 2 किलो 900 ग्राम</li> </ol> |
|    |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>मुकुट जर्मन सिल्वर हार 3 किलो 60 ग्राम, श्रंगी जर्मन सिल्वर 180 ग्राम</li> <li>लोटा जर्मन सिल्वर 220 ग्राम</li> <li>कमल सिंहासन जर्मन सिल्वर श्रीयंत्र के लिए एक नग।</li> <li>उप बाला जी सिंहासन, टेविल पीतल की 04 किलो 620 ग्राम</li> <li>चंटी जर्मन सिल्वर 820 ग्राम</li> <li>चावर एक नग 400 ग्राम</li> <li>बज्र 2 बाला जी का जर्मन सिल्वर व पीतल सहित 820 ग्राम</li> <li>बज्र छोटी बाला जी के पास दो(एक चॉदी की एक पीतल की वजन 120 ग्राम +80 ग्राम)</li> <li>बज्र बड़ा पेशी वाली बाला जी के पास वजन 800 ग्राम</li> <li>अखण्ड जोत दो पीतल की 800 ग्राम</li> <li>आरती 7 बाती की जर्मन सिल्वर वजन 460 ग्राम</li> <li>शंख बड़ा एक</li> <li>संखी छोटी एक स्टैण्ड सहित</li> <li>पूँछ बाला जी की जर्मन सिल्वर एक वजन 440 ग्राम</li> </ol>  |

जो भी व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट अथवा अनुसूची में दर्शायी संपत्ति में हित रखते हो या सुझाव/आपत्ति देना चाहते हो वह अपना जबाब दावा दो प्रतियों में इस नोटिस के जारी होने के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय के पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(G-1451)

डी.पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2022—श्रावण 21, शक 1944

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )